उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार – 249404
Website- psc.uk.gov.in

पत्रांक : 143/46/ई–1/डी0आर0(पी0सी0एस0)/2020–21 दिनांक : 12 जुलाई, 2024

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा–2021' के सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या : 186/11/PCM(M)-21/G-1/2023-24 दिनांक 27 फरवरी 2024 एवं विज्ञप्ति संख्या : 01/11/PCM(M)-21/G-1/2023-24 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 द्वारा साक्षात्कार हेतु सफल कुल 902 अभ्यर्थियो में से पुलिस उपाधीक्षक पद एवं कारागार अधीक्षक पद हेतु वरीयता देने वाले 648 अभ्यर्थियों की **शारीरिक मापदण्ड परीक्षा दिनाँक 16, 17 एवं 18 जुलाई, 2024 को 40वीं वाहिनी पी.ए.सी., बी.एच.ई.एल., हरिद्वार** में आयोजित की जानी निर्धारित है।

2. पुलिस उपाधीक्षक पद एवं कारागार अधीक्षक पद चयन हेतु उक्त 648 अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदण्ड परीक्षा में उपयुक्त घोषित होने के साथ निम्नांकित शारीरिक दोष से मुक्त होना अनिवार्य है–

(i) पुलिस उपाधीक्षकः उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के परिशिष्ट– ''ख'' के प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् शारीरिक मापदण्ड अपेक्षित है–

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आँख 6/6 व दूसरी आँख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दायीं आँख 6/6 और बाँयें हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बांयी आँख 6/6 होनी चाहिए और वर्णाधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए।

अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियों व अन्य समस्याएं जो पुलिस अधिकारी की डयूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्य माना जाएगा। उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन में अभ्यर्थी के उपयुक्त होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी के अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

(ii) कारागर अधीक्षकः सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक स्तर का होः–
दृष्टि 6/6।

3. उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत पद की सेवानियमावली के नियम– 13 शारीरिक स्वस्थता में उल्लेख किया गया है कि ''किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया

जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो।

अतः पुलिस उपाधीक्षक पद एवं कारागार अधीक्षक पद हेतु वरीयता देने वाले तथा दिनाँक 16, 17 एवं 18 जुलाई, 2024 को 40वीं वाहिनी पी.ए.सी., बी.एच.ई.एल., हरिद्वार में शारीरिक मापदण्ड परीक्षा में सम्मिलित 648 **अभ्यर्थियों को उक्त पदों के सापेक्ष बिन्दु सं0– 02 में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अपने–अपने जनपदों में अवस्थित जिला चिकित्सालय में गठित चिकित्सा परिषद द्वारा जारी शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र मूल रूप में दिनांक 05 अगस्त, 2024 (सोमवार) तक आयोग कार्यालय में डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्यदिवस–सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक अनुभाग के काउन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।** उक्त प्रमाणपत्र की छायाप्रति एवं ई–मेल के माध्यम से प्रेषित प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। उक्त तिथि तक शारीरिक स्वस्थता प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

4. उक्त शारीरिक स्वस्थता प्रमाण–पत्र में यह स्पष्टतः उल्लिखित होना आवश्यक है कि वे बिन्दु सं0– 02 में वर्णित दोषों से मुक्त हैं। बिन्दु सं0– 02 में वर्णित दोषों से मुक्त होने का उल्लेख प्रमाणपत्र में न होने की दशा में ऐसे अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अयोग्य मानते हुए चयन की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। अतः अभ्यर्थी का यह उत्तरदायित्व होगा कि परीक्षण से पूर्व चिकित्सा परिषद को इस पत्र में उल्लिखित उपर्युक्त स्वस्थता मानदण्डों से अनिवार्यतः अवगत करायें। **इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र भी मूल रूप में आयोग कार्यालय को उपलब्ध करायें कि उनके द्वारा परीक्षण से पूर्व चिकित्सा परिषद को इस पत्र में उल्लिखित उपर्युक्त स्वस्थता मानदण्डों से अवगत करा दिया गया था।**

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि चयन के पश्चात् विभागीय चिकित्सा परीक्षण में अथवा किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूर्ण नहीं करता है, तो चयन संस्तुति प्रेषित करने के पश्चात् भी अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी उक्त से अवगत होना सुनिश्चित करें।

Sd/-
(जी0एस0 रावत)
सचिव।